राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर दिनांक– 6 JUN 2015

आदेश

राज्य में निजी आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/टाउनशिप योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल. आई.जी. भूखण्ड/आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में – अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के मॉडल नं. 1 तथा टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2012 प्रसारित किया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 24.03.2015 के क्रम में उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयां को दर्शाया गया है। अतः उक्त आदेश पर पुर्नविचार करने पर निम्न बिन्दु स्पष्ट किये जाने अथवा जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2012 में निम्नानुसार प्रावधानों को स्पष्ट/संशोधित/विस्तारित किया जाता है :–

1. (अ) विकासकर्ता द्वारा मुख्य परियोजना से अन्यत्र स्थान पर ई.डब्ल्यू.एस./एल. आई.जी.आवास प्रस्तावित किये जाने पर यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, परन्तु निर्धारित अवधि दो वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं किया गया है तो अधिकतम एक वर्ष का अवधि विस्तार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास निर्माण हेतु 200 रूपयें प्रति वर्गफीट की शास्ति ली जाकर किया जा सकेगा तथा विस्तारित अवधि तक अर्थात 3 वर्ष की समाप्ति तक भी निर्माण पूर्ण नहीं होने की स्थिति में मूल परियोजना के अनुमोदित मानचित्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

   (ब) इसी प्रकार मूल परियोजना में प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों का निर्माण बिन्दु सं. 4 के अनुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर अधिकतम एक वर्ष का अवधि विस्तार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास निर्माण हेतु 200 रूपयें प्रति वर्गफीट की शास्ति ली जाकर किया जा सकेगा तथा विस्तारित अवधि तक अर्थात 3 वर्ष की समाप्ति तक भी निर्माण पूर्ण नहीं होने की स्थिति में मूल परियोजना के अनुमोदित मानचित्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

2. विकासकर्ता द्वारा मूल परियोजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास प्रस्तावित होने अथवा मूल परियोजना से पृथक भूखण्ड (Split Location) पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई. जी. आवासों का प्रस्ताव मूल परियोजना के आवेदन के साथ ही देना होगा। दोनों ही स्थितियों में विकासकर्ता को ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु निर्धारित एफ.ए.आर. के बराबर एफ.ए.आर. मूल परियोजना में संबंधित निकाय के पक्ष में तब तक रहन रखना होगा, जब तक ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. इकाईयों का कब्जा संबंधित निकाय को नहीं सौंपा जावें।

3. जिन प्रकरणों में मूल परियोजना के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जा चुके है, परन्तु विकासकर्ता द्वारा निर्धारित 6 माह की अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया